का पत्र हा। 1

२५/०५/२५

अभिलेखागार प्रति० चूंकि मूल प्रार्थना पत्र 77 RTA खारिज किया जा चुका है अतः वि० प्र० पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वि० प्र० पत्र 212 RTA वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। कोई कार्यवाही पत्रावली के अन्य प्रार्थना पत्र लंबित अवशेष नहीं है निर्णय की स्थिति [illegible] की जाये

ह० [illegible]